न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 03 / 2018

वादीगण–

1. महेन्द्र सिंह पुत्र विशनसिंह
2. नरेन्द्रसिंह पुत्र विशनसिंह, जातियान– राजपूत, निवासी डेह, तहसील–जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. विशनसिंह पुत्र सुगनसिंह
2. राज कंवर पुत्री विशनसिंह
3. अन्तर कवंर पुत्री विशनसिंह, जातियान–राजपूत, निवासीगण डेह, तहसील–जायल।
4. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री दशरथ सिंह राठौड़ वादीगण की ओर से
2. श्री अम्बालाल पारासर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 28/6/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा डेह तहसील जायल में खेत खसरा नं. 965 / 1 रकबा 37 बीघा व खसरा नंबर 695 रकबा 19.15 बीघा रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा मौखिक तौर पर 5 वर्ष पूर्व वाद पत्र के पैरा संख्या 3 (क से ग) के अनुसार कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी महेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह का खेत खसरा नंबर 965 / 1 रकबा 37 बीघा में से 21.14 बीघा पूर्वी भाग रखा गया है। वादी नरेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह का खेत खसरा नंबर 965 / 1 रकबा 37 बीघा में से 15.06 बीघा पश्चिमी भाग रखा गया है। प्रतिवादी विशनसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह का खेत खसरा नंबर 695 रकबा 19.15 बीघा यथावत रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक बंट मे कोई भूमि नहीं रखा गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने दिनांक 13.07.2018 को न्यायालय में उपस्थित होकर ईकबाली जबाब पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री दशरथ सिंह राठौड़ ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पहचान अधिवक्ता श्री अम्बालाल पारासर ने की। ईकबाली जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन स्वयं से

28/6/2022
सहायक कलक्टर

तामील होकर प्राप्त है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 4 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह महेन्द्रसिंह पुत्र बिशन सिंह के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम डेह तहसील–जायल सम्वत् 2071–2074 खाता संख्या 115 1290 प्रदर्श–1,2 नकल जमाबंदी ग्राम डेह सम्वत् 2023 से 2026 खाता संख्या 514 पेश हुवे, अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 4 केवल परफोर्मा पक्षकार है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबाली जबाब में वर्णित पैराज माफिक नजरीनक्शा अनुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरीनक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 18.07.2018 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 18.07.2018 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा डेह के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 695 की भूमि को यथावत संख्या 1 व खसरा नंबर 965/1 की भूमि को वादीगण के रखकर माफिक ईकबाली जबाब अनुसार बंट चाहा है जो कि पूर्ण रूपेन विभाजन नहीं है अतः खसरा नंबर 965/1 की भूमि का बंटवाड़ा पूर्ण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 14.10.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 14.10.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 2257 दिनांक 11.03.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी विशनसिंह ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान जबरसिंह एवं लियाकत अली तथा पटवार हल्का डेह एवं भू.अभि.निरीक्षक डेह की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 2 से 3 के नाम मुतदाविया खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 से 3 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः मौजा डेह के खेत खसरा नं. 965/1 रकबा 5.9893 हैक्टेयर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा डेह के खेत खसरा नं. 965/1 रकबा 5.9893 हैक्टेयर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता हैं।

1. वादी महेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह का खेत खसरा नंबर 965/1 रकबा 37 बीघा (5.9893 हैक्टेयर) में से 3.5126 हैक्टेयर पूर्वी भाग रखा गया है।
2. वादी नरेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह का खेत खसरा नंबर 965/1 रकबा 37 बीघा (5.9893 हैक्टेयर) में से 2.4767 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा गया है।
3. प्रतिवादी विशनसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह का खेत खसरा नंबर 695 रकबा 19.15 बीघा (3.1970 हैक्टेयर) यथावत रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक बंट कब्जा काश्त मे मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।
5. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
6. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 28/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

28/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 03/2018

वादीगण–

1. महेन्द्र सिंह पुत्र विशनसिंह
2. नरेन्द्रसिंह पुत्र विशनसिंह
   जातियान– राजपूत, निवासी डेह, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. विशनसिंह पुत्र सुगनसिंह
2. राज कंवर पुत्री विशनसिंह
3. अन्तर कवंर पुत्री विशनसिंह
   जातियान–राजपूत, निवासीगण डेह, तहसील–जायल, जिला–नागौर।
4. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री दशरथ सिंह राठौड़ वादीगण की ओर से
2. श्री अम्बालाल पारासर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री दशरथ सिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हाजरी श्री अम्बालाल पारासर व प्रतिवादी संख्या 4 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा डेह के खेत खसरा नं. 965/1 रकबा 5.9893 हैक्टेयर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता हैं।

1. वादी महेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह का खेत खसरा नंबर 965/1 रकबा 37 बीघा (5.9893 हैक्टेयर) में से 3.5126 हैक्टेयर पूर्वी भाग रखा गया है।
2. वादी नरेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह का खेत खसरा नंबर 965/1 रकबा 37 बीघा (5.9893 हैक्टेयर) में से 2.4767 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा गया है।
3. प्रतिवादी विशनसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह का खेत खसरा नंबर 695 रकबा 19.15 बीघा (3.1970 हैक्टेयर) यथावत रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक बंट कब्जा काश्त मे मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।

28/6/2022

5. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
6. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 28/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

28/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28/6/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

ोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

28/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)